an>

Title: Regarding deteriorating law and order situation in Uttar Pradesh.

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : महोदया, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे लखनऊ जनपद के साथ जुड़ा जनपद उन्नाव है और वहां थाना औरास के अंतर्गत गांव गिरूआ आता है जहां एक महिला रामकली ग्राम प्रधान है। उस पर विगत 23 अप्रैल को जानलेवा हमला हुआ जिसमें मुकदमा महन सिंह, संदीप सिंह, भूपेन सिंह, अमरेन सिंह, योगेंद्र सिंह और राघवेन्द्र सिंह के खिलाफ धारा 307 के अंतर्गत दायर किया गया लेकिन उन लोगों पर चार्जशीट लग जाने के बाद भी अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस संबंध में मैंने एसपी उन्नाव से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि यह केस झूठा है। इससे पहले इसी ग्राम प्रधान के लड़के पर भी प्रवीण रावत को मुकदमा पृष्ठ संख्या 240/13 में धारा 307 के अंदर योगेन्द्र सिंह ने फर्जी मुकदमा लगा कर जेल भेज देने का काम किया था। जब इस संबंध में मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये दोनों मुकदमे झूठे हैं। मैंने कहा कि अगर यह मुकदमा झूठे हैं तो प्रवीण रावत को जेल भेजने का काम क्यों किया गया? इसका मतलब है कि आप सही जांच नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर जांच करा रहा हूं। सीओ सिटी ने उस बारे में जांच की और जांच करने के बाद चार्जशीट भी लगाई। लेकिन चार्जशीट लग जाने के बाद भी अभी तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। जिन लोगों के खिलाफ़ यह नामज़द एफ.आई.आर. है, वे लोग प्रवीण की हत्या कर देना चाहते हैं। प्रवीण की मां, जो ग्राम प्रधान हैं, उनकी हत्या कर देना चाहते हैं। प्रवीण का एक डेढ़ साल का छोटा बच्चा है, वे उस की भी हत्या कर देना चाहते हैं। इस कारण वे उन्नाव छोड़ कर आज लखनऊ में दर-दर भटक कर किसी तरह से छिप कर रह रहे हैं। अगर उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की गयी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो प्रवीण, उसके बच्चे, उसकी ग्राम प्रधान मां की हत्या कर दी जाएगी।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन हमलावरों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए और प्रवीण के खिलाफ़ जो झूठा मुक़दमा दायर किया गया है, उसकी जांच करके उस मुक़दमे को खत्म करने की कार्रवाई करनी चाहिए।